भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1577
बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>तमिलनाडु में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति</u>

1577. कुमारी सुधा आर.: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्रोत पर आधारित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की लक्षित और संस्थापित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए स्रोत-वार स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में ऐसी परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार ने कॉप-26 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। स्रोत-वार या राज्य-वार कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 203.19 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता (कुल विद्युत क्षमता का 45.5 प्रतिशत) की स्थापना की गई है। गैर-जीवाश्म विद्युत स्थापित क्षमता का राज्य-वार और स्रोत-वार विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की चल रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत तमिलनाडु में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(ग) एमएनआरई, अक्षय ऊर्जा के विकास और स्थापना के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, निधियाँ जारी की जाती हैं। मंत्रालय द्वारा निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत तमिलनाडु को जारी की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	जारी सीएफए (करोड़ रु. में)
2021-22	158.85
2022-23	112.37
2023-24	18.45
2024-25 (जून तक)	18.25

<u>अनुलग्नक-I</u>

'तमिलनाडु में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1577 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार और स्रोत-वार गैर-जीवाश्म विद्युत स्थापित क्षमता (मेगावाट में)							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर विद्युत	पवन विद्युत	जैव विद्युत	जल विद्युत	न्यूक्लियर विद्युत	कुल
1	आंध्र प्रदेश	4623.20	4096.65	574.39	1773.31	0.00	11067.55
2	अरुणाचल प्रदेश	11.94	0.00	0.00	1248.11	0.00	1260.05
3	असम	177.90	0.00	2.00	384.11	0.00	564.01
4	बिहार	239.23	0.00	140.22	70.70	0.00	450.15
5	चंडीगढ़	1242.70	0.00	275.00	196.00	0.00	1713.70
6	गोवा	45.45	0.00	1.94	0.05	0.00	47.44
7	गुजरात	14358.61	11852.68	112.98	2081.64	1840.00	30245.91
8	हरियाणा	1628.82	0.00	285.03	73.50	0.00	1987.35
9	हिमाचल प्रदेश	129.00	0.00	10.20	11250.73	0.00	11389.93
10	जम्मू एवं कश्मीर	65.44	0.00	0.00	3529.93	0.00	3595.37
11	झारखंड	166.67	0.00	19.10	214.05	0.00	399.82
12	कर्नाटक	8819.77	6469.61	1907.72	4969.93	880.00	23047.03
13	केरल	1164.97	63.50	2.50	2140.67	0.00	3371.64
14	लद्दाख	7.80	0.00	0.00	131.99	0.00	139.79
15	मध्य प्रदेश	4076.92	2844.29	134.94	2358.71	0.00	9414.86
16	महाराष्ट्र	6591.41	5212.18	2644.75	3431.28	1400.00	19279.62
17	मणिपुर	13.04	0.00	0.00	110.45	0.00	123.49
18	मेघालय	4.28	0.00	13.80	377.03	0.00	395.11
19	मिजोरम	30.31	0.00	0.00	105.47	0.00	135.78
20	नागालैंड	3.17	0.00	0.00	107.67	0.00	110.84
21	ओडिसा	508.47	0.00	59.22	2270.18	0.00	2837.87
22	पंजाब	1357.93	0.00	567.25	1272.40	0.00	3197.58
23	राजस्थान	22415.22	5195.82	125.64	434.85	1180.00	29351.53
24	सिक्किम	7.04	0.00	0.00	2337.11	0.00	2344.15
25	तमिलनाडु	8617.60	10789.24	1045.45	2301.25	2440.00	25193.54
26	तेलंगाना	4803.71	128.10	221.67	2496.47	0.00	7649.95
27	त्रिपुरा	19.74	0.00	0.00	16.01	0.00	35.75
28	उत्तर प्रदेश	3066.77	0.00	2230.31	550.70	440.00	6287.78
29	उत्तराखंड	575.53	0.00	142.24	4254.17	0.00	4971.94
30	पश्चिम बंगाल	194.07	0.00	348.36	1439.70	0.00	1982.13
31	अंडमान और निकोबार	29.91	0.00	0.00	5.25	0.00	35.16
32	चंडीगढ़	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	65.52
33	दादर एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	46.46
34	दिल्ली	264.31	0.00	84.00	0.00	0.00	348.31
35	लक्षद्वीप	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
36	पुडुचेरी	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
37	अन्य	45.01	4.30	0.00	0.00	0.00	49.31
	कुल (मेगावाट)	85474.31	46656.37	10948.71	51933.42	8180.00	203192.81

'तमिलनाडु में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1577 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना:

सरकार ने फरवरी, 2024 में 75,021 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से रूफटॉप सौर प्रणालियों की स्थापना द्वारा अपनी बिजली उत्पन्न करके एक करोड़ आवासीय परिवारों को सशक्त बनाने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है। तमिलनु राज्य में, दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत कुल 9.47 लाख लोगों ने पंजीकरण किया है, 61,721 उपभोक्ता आवेदन प्राप्त हुए हैं और 5,810 रूफटॉप सौर प्रणालियों की स्थापना की गई हैं।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी):

जीईसी (चरण-I):

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी-I) के तहत ट्रांसमिशन प्रणाली का कार्यान्वयन तमिलनाडु सहित 8 अक्षय ऊर्जा (आरई) समृद्ध राज्यों की राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों के माध्यम से एमएनआरई द्वारा किया जा रहा है। तमिलनाडु में, इसे ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (टेंट्रान्सको) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, 1068 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) ट्रांसमिशन लाइनें और 1910 मेगा वोल्ट-एम्पीयर (एमवीए) सबस्टेशन निर्मित किए जा चुके हैं।

जीईसी (चरण-II):

तमिलनाडु सहित 7 राज्यों के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चरण-II योजना को अनुमोदन दिया गया है। तमिलनाडु अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए वित्त वर्ष 2025-26 तक 624 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) ट्रांसमिशन लाइनें और 2200 एमवीए क्षमता वाले सबस्टेशन स्थापित कर रहा है।

अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएः

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7453 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को अनुमोदन दिया, जिसमें 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु के अपतट पर प्रत्येक 500 गीगावाट) की स्थापना और कमीशनिंग के लिए 6853 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल हैं, और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लाजिस्टिक्स आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रु. का अनुदान शामिल है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम):

एमएनआरई, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को डीजल-मुक्त करना, किसानों को जल और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है। इस योजना के निम्नलिखित तीन घटक हैः-

- घटक-कः किसानों की भूमि पर छोटे सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना
- घटक-खः स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना
- घटक-गः मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण

तमिलनाडु में स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार हैः

घटक-क (मेगावाट)		घटक-ख (संख्या)	
स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित
424	0	5200	3236

अपशिष्ट से ऊर्जा और बायोमास कार्यक्रमः

मंत्रालय द्वारा अपशिशअट से ऊर्जा कार्यक्रम (शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा कार्यक्रम) के अंतर्गत तमिलनाडु में 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

बायोमास कार्यक्रम [ब्रिकेट और पैलेट के विनिर्माण और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना] के तहत, मंत्रालय ने तमिलनाडु में एक परियोजना को स्वीकृति दी है।

*****